आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
25.1.19	**न्यायालय अपर समाहर्त्ता, अररिया** नामान्तरण पुनरीक्षण वाद सं0 – 40/1995–96 12/2004–05 15/2014–15 1. विनय चौधरी, पिता–स्व0 कुलदीप चौधरी, ग्राम–रमई, थाना–फारबिसगंज, जिला–अररिया – प्रथम पक्ष **बनाम** 1. राज्य सरकार 2. मो0 नियामत अली व हफीज व असगुल व सलामत, सभी पिता–स्व0 फरमुद्दीन, ग्राम–रमई, थाना–फारबिसगंज, जिला–अररिया। 3. जैनुद्दीन मियाँ व अलाउद्दीन मियाँ व मो0 अनवर व मो0 अबरार व मो0 अख्तर, सभी पिता–अमीद्दीन मियाँ। 4. अकुब मियाँ, पिता–स्व0 करीम वक्स सभी सा0–रमई, थाना–फारबिसगंज, जिला–अररिया। **आदेश** प्रस्तुत वाद आवेदक विनय चौधरी, पिता–स्व0 कुलदीप चौधरी, ग्राम–रमई, थाना–फारबिसगंज, जिला–अररिया की ओर से नामान्तरण अपील वाद सं0 102/94 (नियामत अली ई0 बनाम कुलदीप चौधरी) में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.08.1995 के विरूद्ध समाहर्त्ता, अररिया के न्यायालय में दिनांक 29.09.1995 को दाखिल किया गया। जिसे समाहर्त्ता, अररिया द्वारा दिनांक 29.12.1996 को सुनवाई हेतु स्वीकृत किया गया तथा इसे विधिवत निष्पादन हेतु दिनांक 28.05.2015 को इस न्यायालय को हस्तांतरित किया गया। उप समाहर्त्ता प्रभारी, जिला विधि प्रशाखा, अररिया के पत्रांक 1768/वि0, दिनांक 04.09.2015 द्वारा अभिलेख हस्तांतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ। विपक्षीगणों की ओर से प्रतिउत्तर दाखिल होने के पश्चात् अभिलेख सुनवाई हेतु निश्चित की गई। परन्तु आवेदक को बार–बार सुनवाई का मौका दिये जाने के बावजूद भी आवेदक द्वारा सुनवाई में भाग नहीं लिया गया। तत्पश्चात् विपक्षी को सुना गया तथा अभिलेख को आदेशार्थ निमित किया गया।	

वाद भूमि का विवरण

मौजा	खाता	खेसरा	रकवा
रमई	362	1559	0.55 ए0
थाना नं0 41		1560	0.49 ए0
		1558	1.10 ए0
		1555	1.36 ए0
		1586	0.77 ए0
			कुल 4.27 ए0

विपक्षीगणों के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि वाद भूमि खतियानी रैयत कृष्ण मोहन चौधरी, पिता–बच्चू लाल चौधरी से वर्ष 1961 में क्रय किया गया है। क्रय की तिथि से विपक्षीगण क्रय भूमि पर शांतिपूर्वक दखलकार है तथा दाखिल खारिज कराकर लगान भी सरकार को भुगतान करते आ रहें हैं। प्रथम पक्ष द्वारा दिवानी वाद सं0 164/71 का हवाला देकर प्रश्नगत भूमि का नामान्तरण, नामान्तरण वाद सं0, 773/92–93 द्वारा अपने पक्ष में आदेश प्राप्त कर लिया गया था। जबकि उक्त दिवानी वाद सं0 164/71 में विपक्षीगण पक्षकार नहीं थे। उक्त स्वत्व वाद सं0 164/71 प्रथम लाल चौधरी एवं कुलदीप चौधरी के बीच चला तथा उक्त स्वत्व में खाता सं0 362 की जमीन भी नहीं थी।

आगे इनका यह भी कहना है कि अंचल अधिकारी के नामान्तरण आदेश के विरूद्ध विपक्षीगणों द्वारा विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज के न्यायालय में नामान्तरण अपील वाद सं0 102/94 दाखिल किया गया। विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज ने दोनों पक्षों की सुनवाई कर तथा दस्तावेजों के अवलोकन के पश्चात् विपक्षीगणों के पक्ष में आदेश पारित किया गया है, जो आदेश न्यायपूर्ण है। जिसे बहाल रखते हुए पुनरीक्षणकर्त्ता के पुनरीक्षण आवेदन को खारिज करने का अनुरोध करते हैं।

पुनरीक्षणकर्त्ता के लगातार अनुपस्थित रहने के कारण उनका पक्ष नहीं सुना जा सका।

अतः निम्न न्यायालय के पारित आदेश तथा संलग्न साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि मौजा–रमई, थाना नं0 41 के खाता 362 की जमीन से संबंधित है। जिसका आर0एस0 सर्वे खतियान प्रथम लाल चौधरी वो कुलदीप नारायण चौधरी, पिता–वटी लाल चौधरी 1 हिस्सा व हिस्सा बराबर वो बच्चू लाल चौधरी, पिता–मानदत्त चौधरी 1 हिस्सा दर्ज है। उक्त खाता के अन्तर्गत वादग्रस्त खेसरा 1558, 1559, 1560, 1555, 1586 के कैफियत कॉलम में दखल बच्चू लाल चौधरी दर्ज है तथा अन्य खेसरा पर प्रथम लाल चौधरी वो कुलदीप नारायण चौधरी का दखल दर्ज है।

विपक्षीगण के पूर्वज द्वारा खतियानी रैयत बच्चू लाल चौधरी के मृत्युपरांत उनके पुत्र कृष्ण मोहन चौधरी से प्रश्नगत भूमि बजरिये दो निबंधित दस्तावेज सं0

क्रमशः 178, दिनांक 09.01.1961 एवं 177, दिनांक 09.01.1961 द्वारा क्रय कर दखल काबिज हुए। अपील अर्जी के अनुसार पुनरीक्षणकर्त्ता का यह दावा कि प्रश्नगत भूमि स्वत्व वाद सं0 164/71 द्वारा उन्हें प्राप्त हैं तो स्वत्व वाद सं0 164/71 प्रथम लाल चौधरी तथा कुलदीप नारायण चौधरी के बीच चला था। इस स्वत्व वाद में बच्चू लाल चौधरी या उनके पुत्र पक्षकार नहीं थे तथा बच्चू लाल चौधरी के हिस्से की प्रश्नगत भूमि वर्ष 1961 में ही बिक्री हो चुकी है। जबकि यह स्वत्व वाद वर्ष 1971 में कुलदीप नारायण चौधरी के विरूद्ध दाखिल किया गया है। साथ ही Suit Land में मौजा–रमई का खाता नं0 362 शामिल नहीं है। इस प्रकार पुनरीक्षणकर्त्ता (प्रथम पक्ष) का वाद भूमि पर स्वत्व वाद के आधार पर दावा किया जाना निराधार है।

अतः उपरोक्त तथ्यों से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि :–

1. प्रश्नगत भूमि का खयितान के अनुसार हकियत एवं दखल कब्जा विपक्षीगणों के विक्रेता के पिता के नाम से दर्ज है। खतियान में दर्ज कब्जे वाली भूमि को हीं विक्रेता के हिस्से के अनुरूप क्रय किया गया है।

2. स्वत्व वाद सं0 164/1971 के पूर्व हीं वर्ष 1961 में विपक्षीगण के पूर्वज द्वारा प्रश्नगत भूमि क्रय किया है तथा स्वत्व वाद सं0 164/1971 में इन क्रेताओं को पक्षकार नहीं बनाया गया है एवं प्रश्नगत भूमि खाता 362 स्वत्व वाद में शामिल भी नहीं है।

अतएव उपरोक्त तथ्यों के आलोक में पुनरीक्षणकर्त्ता के आवेदन को स्वीकार करने का कोई आधार नहीं है। नामान्तरण अपील वाद सं0 102/94 में विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज के पारित आदेश दिनांक 31.08.1995 में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होता है, जिसे बहाल रखते हुए पुनरीक्षणकर्त्ता के पुनरीक्षण आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

पारित आदेश की प्रति भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज तथा अंचल अधिकारी, फारबिसगंज को अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु भेजें।

लेखापित एवं संसोधित

ह0–
अपर समाहर्त्ता,
अररिया

ह0–
अपर समाहर्त्ता,
अररिया

ज्ञापांक 18 /रा0(न्या0), अररिया, दिनांक 25/01/2019

प्रतिलिपि : भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज/अंचल अधिकारी, फारबिसगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

25.1.19
अपर समाहर्त्ता,
अररिया

M.I.C. Ar...